पत्र संख्या / एफ0टी0-48–3649 / 2017(एफ0सी0ए0)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषित: उप महा निर्देशक, वन (केन्द्रिय),
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रिय कार्यालय (उतर–मध्य क्षेत्र), सुभाष रोड़, देहरादून–248001

दिनांक शिमला–1 23 APR 2021

विषय: **Diversion of 5.18 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of Shanad to Shrikot road (Kms. 0/00 to 9/700) within the jurisdiction of GHNP Forest Division, Shamshi, Distt. Kullu, Himachal Pradesh.**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर 8B/HP/06/108/2019/FC/03 दिनांक 25/04/2020 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।

2 परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

3 **प्रतिपुरक वनीकरण:**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात 10.36 है0 (53E/6/SW in Nahanda IIrd UPF) में प्रति पूरक वनीकरण किया जाएगा। जंहा व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जाएगा।

4. प्रतिपुरुक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरुक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमाकंन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप में जमा करा दी गई है।

5 **शुद्व वर्तमान मूल्य:**

क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। प्रति संलग्न है।

ख) शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है।

6 राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक पर निर्णय लेने के पश्चात ही अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के आदेश जारी करेगी।

7 प्रयोक्ता अभिकरण ने सहमति जताई है कि प्रस्तावित वन भूमि पर प्रस्तावित 105 वृक्षों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटेगी।

8 परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोंटल के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किये गए है। प्रयोक्ता ऐजेंसी ने इस प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) की राशी 20,55,300/– रु0, एवं शुद्व वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशी 36,20,820/– रु0, तथा डम्पिग साईट के Reclamation की राशी 7,52,432/– रु0 जो कुल 64,28,552/–रु0 बनती है, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में जमा की है। Proforma की प्रतिलिपी आगामि कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

9 एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। इसकी बचन बद्वता संलगन है।

10 प्रयोक्ता अभिकरण आई आर सी मानदड़ों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा। जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।

11 संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रो में निशिचित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे। बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।

12 इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

13 केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Lyaout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।

14 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी बचन बद्धता संलगन है।

15 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराया जाएगा।

16 संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमाकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

17 परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। बचन बद्धता संलगन है।

18 इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है

19 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपयोग नहीं किया जाएगा।

20 केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।

21 इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है।

22 इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है।

23 अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय

नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0

संलग्नः उपरोक्त

पृष्ठांकन संख्या0 एफ0 टी0 48–3649/2017(एफ0सी0ए0) दिनांक शिमला–1 23 APR 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. अरण्यपाल जी0एच0एन0पी0, शमशी, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के पत्र सं0 5670 दिनांक 16.01.2021 के सन्दर्भ में
2. वन मण्डल अधिकारी, जी0एच0एन0पी0, शमशी वन मण्डल, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
3. Executive Engineer, HPPWD Division Banjar, Distt. Kullu, Himachal Pradesh.

23/4/2021

नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

22/04/2021